न्यायालय

उनवान रिछपाल बनाम जगदीश

मुकदमा नं. 84/2020

24/12/2021

पत्रावली पेशगी वकील
[illegible] अभियोजन [illegible] ता 4 की
ओर से जवाब तक पेश आ। नकल
श्रीमती पत्रावली तामिल प्रतिवादी
से 5 ता 7 दि. 08/02/22 को किया।

8/2/22

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/4/22 को पेश हों।

21/4/22

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible] हाजिर। पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/6/22 को पेश हों।

21/6/22

पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/[illegible] हाजिर। पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/8/22 को पेश हों।

17/8/22

पत्रावली निकाल तलबी आदेश पेश हुआ। मूकवाद के रागीनामा पेश आया। मूकवाद के कारण पत्रावली दि. 13/8/22 को पेश हो।

13/8/22

पत्रावली पेशगी। वकील [illegible] पक्षकार उपस्थित। मूकवाद में रागीनामा [illegible] वाद वादी डिक्री किया गया। अतः पत्रावली को आ मूकवाद का निस्तारण होने तक संरक्षण रखा दिन किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार हो [illegible] कर दी। पृथक पत्रावली है, निर्णय आज दि. 13/8/22 को सार्वजनिक लोक अदालत तरीके से सुनाया गया।

13/8/22

अति- श्रवणी

अध्यक्ष लोक अदालत पीठ
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

अति- शारदा

रिछपाल

पहला

CB-2, सीकर

अति- जगदीश

अति- बोरंगलाल

अति- बाबूलाल

अति- सरिता

अभिभाषक संघ, सीकर